संख्या-40/2022/863/22-2-2021-17(359)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 25 मई, 2022*

विषय:- जिला कारागार, मीरजापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय शंकर पुत्र स्व0 अर्जुन प्रसाद, निवासी जनपद-मीरजापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-11.02.2021, दिनांक 22.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी विजय शंकर पुत्र स्व0 अर्जुन प्रसाद, रमईपट्टी, पोस्ट-खलुआ, थाना-कोतवाली शहर, जनपद-मीरजापुर का निवासी है। बंदी द्वारा जमीनी विवाद के कारण दिनांक 29.06.1976 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गड़ासा, लाठी व भाला से मारकर शम्भूनाथ की हत्या कारित की गयी तथा अमरनाथ को घायल किया गया । उक्त बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-239/1976 में भा0द0वि0 की धारा-148, 147, 302/149, 323/149, 324/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर के आदेश दिनांक 21.06.1979 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.01.2019 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25.11.2019 द्वारा यथावत रखा गया है । बंदी द्वारा दिनांक 10.09.2020 तक 01 वर्ष 05 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष 07 माह 27 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर द्वारा अपनी आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, बंदी द्वारा अपरिहार 01 वर्ष 05 माह 21 तथा सपरिहार 01 वर्ष 07 माह 27 दिन की भोगी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मीरजापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय शंकर (बन्दी संख्या-55/2019) पुत्र स्व0 अर्जुन प्रसाद, निवासी जनपद-मीरजापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(करूणेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-40/2022/863(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद- मीरजापुर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, मीरजापुर।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।